-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **बांदा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्यवाही करते हुए । 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की कुल 07 मोटरसाइकिलें व 03 अवैध तमंचे 05 जिन्दा कारतूस बरामद।**
- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 02 मोटरसाइकिलों तथा थाना अतर्रा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 05 मोटरसाइकिलों व अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.06.2025 को बांदा पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 05 अभियुक्तों को अवैध तमंचे व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 29/30.06.2025 की रात्रि को थाना अतर्रा को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अतर्रा तहसील के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पहुंची तो दो व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे जिन्हे आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया तथा तलाशी में उनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए तथा कड़ाई से पूछताछ करते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है तथा और भी मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियो में छिपा रखा है तथा सभी गाड़िया बिक्री हेतु मध्य-प्रदेश ले जाने वाले थे। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशादेही पर कुल 05 मोटरसाइकिले गाड़िया बरामद की गई। पुलिस द्वारा बरामद पांचो गाड़ियो के बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये सभी गाड़िया उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व नरैनी रोड अतर्रा, भरतकूप, बांदा रेलवे स्टेशन, कालूकुआं बस स्टैण्ड तथा मध्य प्रदेश से गाड़िया चोरी की गई थी। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पहाड़ी बाबा मन्दिर के पास से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिलें तथा तलाशी में उनके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल कालूकुआं मण्डी के पास से तथा टीवीएस अपाचे काशीराम कालोनी इन्द्रानगर से चोरी की गई है।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरशद पुत्र इरशाद खान निवासी इन्द्रानगर काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. विनय रैकवार पुत्र राजेश रैकवार निवासी इन्द्रानगर काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. सरफराज पुत्र शरीफ निवासी खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

थाना अतर्रा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महन्त लाल वर्मा पुत्र रामऔतार वर्मा निवासी हस्तम थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. रामजीत प्रजापति उर्फ गरीबी पुत्र रामनिहोर निवासी अत्रीनगर थाना अतर्रा जनपद बांदा

बरामदगी-

- 07 मोटरसाइकिलें (चोरी की)
- 03 अदद् अवैध देशी तमंचा
- 05 जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 240/25 धारा 318(4)/317(4)/303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 214/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 419/25 धारा 303(2)/317(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 569/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0- 22/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीआरपी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महन्त लाल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 25/25 धारा 115(2)/74 बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अतर्रा श्री ऋषिदेव सिंह मय टीम
2. प्र0नि0 कोत0नगर श्री बलराम सिंह मय टीम